झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

संख्या 142 /तिथि 21.01.2016

अधिसूचना

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के सभी अभियंत्रण महाविद्यालय/बहुप्रावैधिकी सेवा संवर्ग के समूह 'ख' एवं 'ग' के अधीन अराजपत्रित पद लिपिक/लिपिक–सह–टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग में भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ

(i) **संक्षिप्त नामः–** यह नियमावली ''झारखण्ड अभियंत्रण/बहुप्रावैधिकी सेवा संवर्ग ग्रुप 'ख' एवं 'ग' के अधीन अराजपत्रित पद लिपिक/लिपिक–सह–टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2015'' कहलायेगी।

(ii) **विस्तारः–** इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा। यह नियमावली झारखण्ड राज्य के अभियंत्रण/बहुप्रावैधिकी संस्थानों के लिए लागू होगा।

(iii) **प्रभाव की तिथिः–** राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से यह नियमावली प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ :–

(i) **राज्य** – **'राज्य'** से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य।

(ii) **सम्वर्ग** – **'सम्वर्ग'** से तात्पर्य है अभियंत्रण/बहुप्रावैधिकी संस्थानों में कार्यरत लिपिक/लिपिक–सह–टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय पदों का सम्वर्ग।

(iii) **आयोग** –**'आयोग'** से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/झारखण्ड लोक सेवा आयोग।

(iv) **विभाग** – **'विभाग'** से अभिप्रेत है कार्यपालिका नियमावली के द्वारा यथा निर्धारित विभाग,

(v) **विभागाध्यक्ष** – **'विभागाध्यक्ष'** से अभिप्रेत है झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 21 के अधीन राज्य सरकार द्वारा घोषित पदाधिकारी/प्राधिकार,

(vi) ''**नियुक्ति प्राधिकार**'' से अभिप्रेत है नियुक्ति पदाधिकारी, जो अभियंत्रण/बहुप्रावैधिकी संस्थानों में लिपिक/लिपिक/लिपिक–सह–टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय पदों पर नियुक्ति के लिए वर्त्तमान में अधिकृत है।

(vii) **परीक्ष्यमानः–** **'परीक्ष्यमान'** से तात्पर्य है वह सरकारी सेवक जो किसी विभाग के संवर्ग की किसी मौलिक रिक्ति में या उसके विरूद्ध परीक्ष्यमान रूप से नियोजित हो,

(viii) **'वरीयता सूची'** से अभिप्रेत है लिपिक/लिपिक–सह–टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय पदों की वरीयता सूची जो नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि को संधारित हो या उसके बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के अनुसार पुनरीक्षित हो,

(ix) **'नियंत्री पदाधिकारी'** से अभिप्रेत है निदेशक, तकनीकी शिक्षा, झारखण्ड।

(x) 'भर्त्ती वर्ष से अभिप्रेत है कैलेण्डर वर्ष (1ली जनवरी से 31 दिसम्बर)

3. **संवर्गीय संरचना एवं बल**

(क) इस संवर्ग में निम्न कोटि के पद होंगे:–

क्र0सं0	कोटि / पदनाम	वेतनमान	सेवा समूह	श्रेणी
(i)	निम्नवर्गीय लिपिक (लिपिक / लिपिक–सह–टंकक / टंकक, पत्राचार लिपिक एवं अन्य लिपिकीय पद) (मूल कोटि)	5200–20200 (PB-I) ग्रेड वेतन रू0 1900	समूह 'ग'	अराजपत्रित
(ii)	उच्च वर्गीय लिपिक (लिपिक / लिपिक–सह–टंकक / टंकक, पत्राचार लिपिक एवं अन्य लिपिकीय पद) (100% प्रोन्नति के पद)	5200–20200 (PB-I) ग्रेड वेतन रू0 2400	समूह 'ग'	अराजपत्रित
(iii)	प्रधान लिपिक (100% प्रोन्नति के पद)	9300–34800 (PB-II) ग्रेड वेतन रू0 4200	समूह 'ख'	अराजपत्रित
(iv)	कार्यालय अधीक्षक (केवल अभियंत्रण महाविद्यालय के लिए) प्रधान लिपिक के स्वीकृत बल के अर्न्तगत (100% प्रोन्नति के पद)	9300–34800 (PB-II) ग्रेड वेतन रू0 4600	समूह 'ख'	अराजपत्रित

नोट:– कोटि के वेतनमान एवं समूह वही होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जायेंगे।

(ख) **अधिकृत बल:–** लिपिक / लिपिक–सह–टंकक / टंकक / अन्य लिपिकीय पदों के अधिकृत बल वहीं होंगे जो किसी कार्यालय के लिपिकीय कार्यो के लिए वर्त्तमान अधिकृत बल है या इस कार्य हेतु समय–समय पर स्वीकृत की जाय।

(ग) **विभिन्न कोटि के पदों की अनुमान्यता:–** उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अपने नियंत्रण के अधीन लिपिक सम्वर्ग में आवश्यकता के आधार पर संरचना एवं प्रोन्नति के पदों का निर्धारण करेंगे।

तथापि सम्वर्ग बल के निर्धारण में सामान्यतः एकरूपता के दृष्टिकोण से निम्न मापदण्डों का अनुसरण किया जायेगा।

विभाग के अधीन अभियंत्रण / बहुप्रावैधिकी संस्थानों के लिए स्वीकृत सम्वर्ग बल में कोटिवार पदों की अनुमान्यता निम्न प्रकार निर्धारित होगी:–

(i) विभागार्न्तगत अभियंत्रण / बहुप्रावैधिकी संस्थानों के अधिकृत बल का 55 प्रतिशत लिपिक / लिपिक–सह–टंकक / टंकक / पत्राचार लिपिक एवं अन्य लिपिकीय पद के मूल कोटि (निम्न वर्गीय लिपिक) के पद माने जायेंगे।

(ii) अधिकृत बल का 35 प्रतिशत लिपिक / लिपिक–सह–टंकक / टंकक / पत्राचार लिपिक एवं अन्य लिपिकीय पद उच्च वर्गीय लिपिक के रूप में प्रोन्नति के पद होंगे।

(iii) अधिकृत बल का 10 प्रतिशत पद प्रधान लिपिक के लिए माने जायेंगे। अभियंत्रण संस्थानों में कार्यालय अधीक्षक के पद प्रधान लिपिक के अधिकृत बल के अर्न्तगत होंगे।

4. **(क)** निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर भर्त्ती की प्रक्रिया

(i) **रिक्ति की गणनाः–** प्रत्येक वर्ष 1ली जनवरी को आधार तिथि मान कर रिक्तियों की गणना की जायेंगी। कोटि में 85 प्रतिशत पद सीधी भर्त्ती से तथा 15 प्रतिशत पद चतुर्थ वर्ग (समूह 'घ') से नियुक्ति (सीमित प्रतियोगिता परीक्षा) द्वारा भरे जायेंगे।

(ii) अभियंत्रण/बहुप्रावैधिकी संस्थानों में लिपिक/लिपिक–सह–टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय पदों की भर्त्ती सम्बद्ध कार्यालय की अधियाचित रिक्ति के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा से प्राप्त चयनित उम्मीदवारों की सूची में से मेधा क्रम के अनुसार आरक्षण का पालन करते हुए सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

(iii) **रिक्तियों का नियतीकरणः–** प्रत्येक वर्ष की 1ली जनवरी को होने वाली रिक्ति का 85 प्रतिशत सीधी भर्त्ती के लिए तथा शेष 15 प्रतिशत पदों पर समूह 'घ' से योग्य उम्मीदवारों की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति से अनुमान्य होगी।

(iv) **आरक्षणः–** राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित आरक्षण नीति एवं रोस्टर लागू होंगे।

(ख) शैक्षणिक योग्यता :–

(i) **अनिवार्य योग्यताः–** सीधी भर्त्ती एवं सीमित प्रतियोगिता से भर्त्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/इंटरमीडिएट कांउसिल या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा हिन्दी टाईपिंग में कम से कम 35 शब्द प्रति मिनट की टाईपिंग गति अनिवार्य अर्हत्ता होगी।

(ii) **वांछनीय योग्यताः–** कम्प्यूटर चालन एवं टाईपिंग के संबंध में व्यवहारिक ज्ञान वांछनीय योग्यता होगी।

(ग) उम्र सीमाः– न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा वह होगी जो सीधी भर्त्ती हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर निधार्रित हो। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 13026, दिनांक 27.11.2012 के आलोक में उम्र निर्धारण हेतु कट ऑफ डेट अधियाचना वर्ष की 1ली अगस्त होगी।

(घ) चयन प्रक्रियाः– झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं गणित विषयों में लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कर एक मेधा सूची तैयार करेगी और सक्षम प्राधिकार की अधियाचना के क्रमानुसार विभाग को मेधा सूची उपलब्ध करायेगी।

(ड.) पैनल की वैधता :– प्रत्येक वर्ष की जाने वाली नियुक्ति के प्रसंग में सीधी/सीमित भर्त्ती प्रक्रिया के लिए प्राप्त पैनल की वैधता आयोग से प्राप्ति की तिथि से अगामी एक वर्ष तक वैध होगी।

5. **परिवीक्षा की अवधि एवं प्रशिक्षण**

लिपिक/लिपिक–सह–टंकक/टंकक अन्य लिपिकीय पदों पर खुली प्रतियोगिता/सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त व्यक्ति नियुक्त होने की तिथि से परीवीक्षाधीन लिपिक/लिपिक–सह–टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय पद माना जायेगा जिन्हे अभियंत्रण/बहुप्रावैधिकी संस्थानों की विभिन्न शाखा के अभिलेखों के संधारण एवं टंकण आदि की परिबोध प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण की यह अवधि न्यूनतम तीन माह की होगी तथा इसका संचालन एवं व्यवस्था नियुक्ति पदाधिकारी के स्तर से की जायेगी। लिपिक/लिपिक–सह–टंकक/टंकक अन्य लिपिकों की परिवीक्षा अवधि 02 वर्षो की होगी।

6. सम्पुष्टि

परिवीक्षा अवधि एवं कार्यालय प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करने के बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिन्दी टिप्पणी प्रारूपण परीक्षा एवं विभागीय लेखा परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल करने के बाद उनकी सेवा संतोषप्रद पाये जाने पर उनके नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा सेवा सम्पुष्ट की जायेगी।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिन्दी टिप्पणी प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण होने पर प्रथम वेतनवृद्धि अनुमान्य होगी। परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने पर वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध रहेगी तथा परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर अनुमान्य वेतन वृद्धि देय होगी लेकिन बकाया वेतन देय नहीं होगा।

7. नियुक्ति

अधियाचित रिक्ति के विरूद्ध आयोग द्वारा आवंटित उम्मीदवारों की नियुक्ति अनुशंसा में रखे गये नामों के क्रमानुसार सम्बद्ध नियुक्ति प्राधिकार द्वारा परिवीक्षाधीन निम्नवर्गीय लिपिक के रूप में की जायेगी।

8. वरीयता

अभियंत्रण/बहुप्रावैधिकी संस्थानों में नियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक की पारस्परिक वरीयता एतद विषयक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों के आलोक में निर्धारित होगी।

(i) वरीयता नियुक्ति पदाधिकारी के स्तर पर संधारित होगी।

(ii) पूर्व से कार्यरत निम्नवर्गीय लिपिकों/उच्च वर्गीय लिपिकों/प्रधान लिपिकों तथा कार्यालय अधीक्षकों की वरीयता उनके नियुक्ति की तिथि के क्रमानुसार रहेगी तथा एक ही तिथि को नियुक्त कर्मियों की वरीयता उनकी जन्म तिथि या जन्म तिथि एक रहने पर नामों के प्रारंभिक अक्षर के आधार पर निर्धारित होगी।

(iii) अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तिथि के बाद इस नियमावली के नियम–8 के तहत नियुक्त लिपिक/लिपिक–सह–टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय पदों की वरीयता आयोग की अनुशंसा में अंकित नामों के क्रमानुसार रहेगी।

(iv) कार्मिक विभाग के पत्र सं0 15784, दिनांक 26.08.1972 के अनुसार पदाधिकारियों की भर्त्ती एक साथ ही प्रोन्नति और सीधी नियुक्ति से की जाएगी तो प्रोन्नत पदाधिकारियों को सीधी भर्त्ती किये गये पदाधिकारियों के मुकाबले पूर्वता मिलेगी।

9. प्रोन्नति

(i) संवर्गीय संरचना में निम्नतर से उच्चतर पदों पर प्रोन्नति वरीयता–सह–योग्यता (Seniority-Cum-Fitness) पर आधारित होगी।

(ii) प्रोन्नति हेतु पदों का कोटिवार (Gradewise) कर्णाकण सक्षम नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।

(iii) प्रोन्नत कर्मियों की पारस्परिक वरीयता एतद् विषय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के अनुसार होगी।

(iv) कालावधिः– विभिन्न संवर्गीय पद के लिए विहित वेतनमानों के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित कालावधि प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि मानी जायेगी।

(v) प्रोन्नति हेतु आरक्षण प्रावधान प्रभावी रहेंगे।

10. पदस्थापन / स्थानान्तरण

नियंत्री पदाधिकारी पदस्थापन / स्थानान्तरण के लिए अधिकृत पदाधिकारी रहेंगे।

11. अवकाश / चरित्र पुस्ती / सेवा पुस्त आदि के संबंध में समय–समय पर इस हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेश प्रभावी रहेंगे।

12. अनुशासनिक कार्रवाई

अनुशासनात्मक कार्रवाई राज्य में प्रवृत्त सुसंगत नियमावली के प्रावधानों के तहत नियंत्री पदाधिकारी द्वारा की जा सकेगी।

13. प्रकीर्ण

(क) अन्य ऐसे मामले जिनके संबंध में ऊपर के खण्डों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उनमें झारखण्ड सेवा संहिता अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू अन्य वैधानिक प्रावधान लागू होंगे। कर्मचारियों को विहित नियमों के अधीन यह सुविधा देने की शक्ति संवर्ग के नियंत्री पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को होगी।

(ख) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस नियमावली को विखंडित कर सकेगी या इसमें संशोधन कर सकेगी या इस नियमावली के नियमों को स्पष्ट कर सकेगी या उसे लागू करने में उत्पन्न त्रुटियों को दूर कर सकेगी।

(ग) राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा निर्गत कोई स्पष्टीकरण या कार्यपालक आदेश इस नियमावली का अंग माना जायेगा।

14. निरसन और व्यावृत्ति

(क) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व के इस नियमावली के विषयों पर बिहार सरकार द्वारा बनायी गयी बोर्ड नियमावली या निर्गत कोई नियम / विनियम / अनुदेश / आदेश इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित माने जायेंगे।

(ख) ऐसे निरसन के होते हुए भी उल्लिखित आदेश द्वारा या उसके अधीन व्यक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा इसके अधीन प्रवृत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी। मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

21/1/16

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– 01 / मु0स्था0(अरा0)–02 / 15वि0प्रा0 142 /रांची, दिनांकः– 21.01.2016

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। मुद्रित नियमावली की 100 प्रतियां उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया जाता है।

2. अवर सचिव ई–गजट को सूचनार्थ एवं ई–गजट प्रकाशनार्थ प्रेषित।

21/1/16

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– 01 / मु0स्था0(अरा0)–02 / 15वि0प्रा0 142 /रांची, दिनांकः– 21.01.2016
प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / मा0 विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी / सभी विभागीय, अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष, झारखण्ड की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– 01 / मु0स्था0(अरा0)–02 / 15वि0प्रा0 142 /रांची, दिनांकः– 21.01.2016
प्रतिलिपिः–सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को सूचनार्थ प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– 01 / मु0स्था0(अरा0)–02 / 15वि0प्रा0 142 /रांची, दिनांकः– 21.01.2016
प्रतिलिपिः–निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी / प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक, झारखण्ड / विभाग के सभी पदाधिकरियों को सूचनार्थ प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव